

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या-270/ 2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1314/LXXXVII-CPC/e-Courts /Allahabad, Dated: 03.09.2020 के अनुसार, माननीय न्यायालय के पूर्व पत्र संख्या 1293/LXXXVII-CPC /e-Courts/Allahabad, Dated: 16.07.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित करने हेतु खुलने के सम्बन्ध की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जारी गाइड लाइन के खण्ड-2 को राज्य सरकार के पत्र सं० 2023/2020-सीएक्स दिनांकित-01.09.2020 के प्रकाश में वापस लिया है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1314/LXXXVII-CPC/e-Courts /Allahabad, Dated: 03.09.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के समस्त न्यायालय, वाहय न्यायालय मुसाफिरखाना तथा वाहय न्यायालय कादीपुर, पूर्व की भाँति शनिवार को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित करने हेतु खुलेंगे।


इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड एवं अन्य दृष्टिगम्य स्थानों पर चस्पा की जाग।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

  
जनपद न्यायाधीश,  
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
- 2- जिलाधिकारी, अमेठी।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
- 4- पुलिस अधीक्षक, अमेठी।
- 5- अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।
- 6- बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
- 7- बार एसोसिएशन, कादीपुर।
- 8- बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
- 9- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
- 10- सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
जनपद न्यायाधीश,  
सुलतानपुर।